राजस्थान सरकार
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग

क्र. प.18(38)नविवि/जयपुर/2017 जयपुर दिनांक 22 FEB 2018

आदेश

विभागीय पत्र क्रमांक प 18(25)नविवि/सामन्य/2014 दिनांक 27.06.2017 के बिन्दु संख्या 6 के द्वारा बैटरमेंट लेवी का भुगतान अधिकतम चार छःमाही किश्तों में वसूल करने हेतु निर्देशित किया गया था। पूर्व पत्र के बैटरमेन्ट लेवी चार छःमाही किश्तों में लिये जाने बाबत् निम्नानुसार प्रक्रिया निर्धारित की जाती हैः–

क्र.स.	विवरण	प्रतिशत	समयावधि
1	प्रथम किश्त	कुल बैटरमेन्ट लेवी का 25 %	भवन मानचित्र अनुमोदन के समय
2	द्वितीय किश्त	कुल बैटरमेन्ट लेवी का 25 %	भवन मानचित्र अनुमोदन से छः माह
3	तृतीय किश्त	कुल बैटरमेन्ट लेवी का 25 %	भवन मानचित्र अनुमोदन से एक वर्ष
4	चर्तुथ किश्त	कुल बैटरमेन्ट लेवी का 25 %	भवन मानचित्र अनुमोदन से एक वर्ष छः माह

किश्तों की राशि के उत्तर दिनांकित चैक (Post Dated Cheque) आवेदक से मानचित्र अनुमोदन के समय लिये जावें। उत्तर दिनांकित चैक (Post Dated Cheque) का भुगतान उपरोक्तानुसार निर्धारित समयावधि में प्राप्त होने पर कोई ब्याज देय नही है, किन्तु यदि उपरोक्त में से कोई उत्तर दिनांकित चैक (Post Dated Cheque) अस्वीकार (Dishonour) होता है तो विलम्बित अवधि के लिए नियमानुसार ब्याज देय होगा, साथ ही परक्राम्य लिखित अधिनियम (Negotiable Instrument Act)के अन्तर्गत कार्यवाही की जावेगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

22/2/18

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
संयुक्त शासन सचिव–प्रथम

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. विशिष्ठ सचिव, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
4. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
5. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. सचिव, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण, जयपुर/जोधपुर/अजमेर।
7. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
8. सचिव, नगर विकास न्यास समस्त।
9. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड़ किये जाने हेतु निर्देशित किया जाता है।
10. रक्षित पत्रावली।

24/5/18

संयुक्त शासन सचिव—प्रथम

IA

23/5